न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 23/2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	**बनाम**	1. बाबूलाल पुत्र मानकमल जाति जैन निवासी जैन न्याती नोहरे की गली बाड़मेर (मैसर्स महालक्ष्मी एन्टरप्राईजेज कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का मैनेजर) 2. सुभाष चन्द्र अग्रवाल शास्त्री नगर जोधपुर (मैसर्स गोविन्द एजेन्सी, अंसल रॉयल प्लाजा के पीछे जोधपुर का सोल प्रोप्राईटर) 3. श्री बन्नेसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह (मैनेजर एण्ड नोमिनी मैसर्स दीपक वेगप्रो0 प्रा0 लि0 ऑल्ड इण्डिस्ट्रियल एरिया, इतराना रोड़ अलवर)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः— 1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जेठमल जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 03 के प्रतिनिधि उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 24.5.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दोपहर 12.00 बजे मैसर्स मैसर्स महालक्ष्मी एन्टरप्राईजेज कृषि उपज मण्डी बाड़मेर पहुंचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम बाबूलाल पुत्र मानकमल जाति जैन निवासी जैन न्याती नोहरे की गली बाड़मेर जिला बाड़मेर, मैसर्स मैसर्स महालक्ष्मी एन्टरप्राईजेज कृषि उपज मण्डी बाड़मेर का मैनेजर होना बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सामग्री के साथ ब्लेण्डेड एडीबल वेजीटेबल ऑयल ब्रॉण्ड निरज (500एमएल) जो कि आधा–आधा लीटर के 50 कार्टूनो में भरा हुआ पाया गया, जिसे बाबूलाल द्वारा आम जनता को बिक्री हेतु अपने कब्जा में रखा हुआ था। ब्लेण्डेड एडीबल वेजीटेबल ऑयल ब्रॉण्ड निरज में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को रूपये 320/– नगद अदा कर 50 पैकेटो में से आधा–आधा की कुल 04 बोतल सीलबन्द खरीदी एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 569 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक बोतल पर लेबल चिपकाया। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.569 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.569 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ ब्लेण्डेड एडीबल वेजीटेबल ऑयल ब्रॉण्ड निरज की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर से एलएस/765/एक्ट/2015/793 दिनांक 28.10.2015 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में ब्लेण्डेड एडीबल वेजीटेबल ऑयल ब्रॉण्ड निरज का नमूना पी. 569 Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ ब्लेण्डेड एडीबल वेजीटेबल ऑयल ब्रॉण्ड निरज का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.569 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभिभाषक प्रथम उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 03 के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

3. विप्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 01 व 03 द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना को ध्यान मे रखते हुए कराने का निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने जाहिर किया कि परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/765/एक्ट/2015/793 दिनांक 28.10.2015 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा ब्लेण्डेड एडीबल वेजीटेबल ऑयल ब्रॉण्ड निरज का नमूना पी. 569 Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया जिसके लिये अभियुक्त अवप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है। विप्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाकर, उसे दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अभियुक्त बाबूलाल वगैरा द्वारा खाद्य पदार्थ ब्लेण्डेड एडीबल वेजीटेबल ऑयल ब्रॉण्ड निरज का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त अप्रार्थी संख्या बाबूलाल पर रूपये 3000/– अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र, अप्रार्थी संख्या 02 सुभाष चन्द्र अग्रवाल पर रूपये 3000/– अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 03 श्री बन्नेसिंह पर रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक से निर्णय तारीख 24.5.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा करावें एवं प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति न्यायालय में पेश करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर